

CHAPTER - X
PAYMENT OF TAX

Section 49 : Payment of tax, interest, penalty and other amounts

- (1) Every deposit made towards tax, interest, penalty, fee or any other amount by a person by internet banking or by using credit or debit cards or National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed.
- (2) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with ¹[section 41 ²[***]], to be maintained in such manner as may be prescribed.
- (3) The amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.
- (4) The amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act in such manner and subject to such conditions ³[and restrictions] and within such time as may be prescribed.
- (5) The amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of—
 - (a) integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax, or as the case may be, Union territory tax, in that order;
 - (b) the central tax shall first be utilised towards payment of central tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;
 - (c) the State tax shall first be utilised towards payment of State tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards payment of integrated tax;

⁴**Provided** that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the

¹ Substituted for "section 41" by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). This amendment, not yet enforced.

² The words and figures "or section 43A" omitted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

³ Inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

⁴ Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;]

- (d) the Union territory tax shall first be utilised towards payment of Union territory tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards payment of integrated tax;

⁵[**Provided that** the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax.]

- (e) the central tax shall not be utilised towards payment of State tax or Union territory tax; and

- (f) the State tax or Union territory tax shall not be utilised towards payment of central tax.

- (6) The balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provisions of section 54.

- (7) All liabilities of a taxable person under this Act shall be recorded and maintained in an electronic liability register in such manner as may be prescribed.

- (8) Every taxable person shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made thereunder in the following order, namely: –

- (a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;

- (b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period;

- (c) any other amount payable under this Act or the rules made thereunder including the demand determined under section 73 or section 74.

- (9) Every person who has paid the tax on goods or services or both under this Act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or services or both.

- ⁶[(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for,–

5 Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

6 Sub-section (10) substituted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 05-07-2022 by Noti. No. 09/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022. Earlier to substitution it read as under:

^A“(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax or cess, in such form and manner and subject to such

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (a) integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax or cess; or
- (b) integrated tax or central tax of a distinct person as specified in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25,

in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act:

Provided that no such transfer under clause (b) shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register.]

⁷[(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).]

⁸[(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed.]

Explanation – For the purposes of this section, –

- (a) the date of credit to the account of the Government in the authorised bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger;
- (b) the expression, –
 - (i) “tax dues” means the tax payable under this Act and does not include interest, fee and penalty; and
 - (ii) “other dues” means interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder.

conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act."

A. Earlier sub-section (10) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

⁷ Sub-sections (11) inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central Tax, dt. 01-01-2020.

⁸ Sub-section (12) inserted by Finance Act, 2022 (No. 6 of 2022). It is made effective from 01-10-2022 by Noti. No. 18/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022.

अध्याय 10

कर का संदाय

धारा 49 : कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय

- (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्य या राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किए गए प्रत्येक निक्षेप को ऐसे व्यक्ति इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, जमा किया जाएगा।
- (2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व:निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय को उसके इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ¹[धारा 41 ²[.....]] के अनुसरण में जमा किया जाएगा।
- (3) इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।
- (4) इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर का संदाय करने के मद्दे, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों ³[और निर्बंधनों] के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।
- (5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में –
 - (क) एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा।
 - (ख) केन्द्रीय कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;
 - (ग) राज्य कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा "धारा 41" के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

2 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा "या धारा 43क" विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

3 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

⁴[परन्तु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;]

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

⁵[परन्तु संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है।]

(ड.) केन्द्रीय कर मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में अतिशेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रॉनिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों को निम्नलिखित क्रम में चुकाएगा, अर्थात् :

(क) स्वः निर्धारित कर और पूर्व कर अवधियों की विवरणियों से संबंधित अन्य शोध्य;

(ख) स्व निर्धारित कर और चालू कर अवधि की विवरणी से संबंधित अन्य शोध्य;

(ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है।

(9) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को संक्रांत कर दिया है।

⁶[(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

5 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपधारा (10) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 09/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा दिनांक 05.07.2022 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

A''(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर

हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को—

(क) एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर; या

(ख) धारा 25 की, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथाविनिर्दिष्ट किसी सुभिन्न व्यक्ति के एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, संबंधी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा :

परन्तु खंड (ख) के अधीन ऐसा कोई अंतरण वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का, उसके इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत्त दायित्व है।]

7[(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।]

8[(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्याधीन रहते हुए, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।]

या संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा।"

A. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (10) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

7 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (11) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

8 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा उपधारा (12) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।